1

।।महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

क्रमांकः-उद्योग/16./ब.श्र.नि./2011/ 40590-600 दिनांकः 12-1-16

अधीक्षक

केन्द्रीय/जिला कारागृह,

जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अजमेर/बीकानेर/

भरतपुर/कोटा/श्रीगंगानगर/अलवर/टोंक।

विषयः-कारागृहों की उद्योगशालाओं में दण्डित बंदियों को श्रम के अवसर उपलब्ध कराने बाबत्।

प्रसंगः-मुख्यालय के परिपत्र उद्योग/सा.नि./2011/50839-880 दिनांक 28.03.2011, उद्योग/ब.श्र.रे.पारि./16/2012/43661-72 दिनांक 26.03.2012 एवं उद्योग/16/ब.श्र.नि./2011/4231-45 दिनांक 29.04.2013 के क्रम में।

-000-

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक परिपत्रों के सन्दर्भ में लेख है कि केन्द्रीय/जिला कारागृहों की उद्योगशालाओं में दण्डित बंदियों को श्रम के अवसर उपलब्ध नही होने के कारण सामग्री का उत्पादन नही हो पा रहा है।

अतः समस्त अधीक्षक केन्द्रीय/जिला कारागृहों को निर्देशित किया जाता है कि आपके कारागृहों की उद्योगशलाओं के संचालन एवं सश्रम कारावास से दण्डित बंदियों को श्रम के अवसर उपलब्ध कराने के स्वयं रूचि लेकर सरकारी/गैरसरकारी विभागों से क्रय आदेश प्राप्त कर नियमानुसार आप उक्त क्रय आदेश एवं बिक्री की सम्भावनाओं को मध्येनजर रखते हुये आवश्यक कच्चा माल ,सूत इत्यादि क्रय कर उत्पादन कार्य सुचारू रूप से संचालित करावें।ताकि माननीय आदेशों की पालना में सश्रम कारावास से दण्डित बंदियों को श्रम उपलब्ध करा कर पालना की जा सकें।पत्र को प्राथमिकता प्रदान करे।

भवदीय

(भुपेन्द्र सिंह)

अति.महानिदेशक एवं महानिरीक्षक

कारागार राजस्थान,जयपुर